न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

उनवान संख्या 13 / 2023

तारीख दायरा 28.07.2023

पीठासीन अधिकारी का नाम—दमयन्ती कंवर आर.ए.एस.

1. सुमिता पुत्री स्व. हरफुल पत्नी गोकुल सिंह महला निवासी ग्राम स्वरूपसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान ।
2. सुनिता पुत्री स्व. हरफुल पत्नी रणजीत जाति जाट निवासी ग्राम हीरणा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान ।
3. मनोज देवी पुत्री स्व. हरफुल पत्नी महेश निवासी रोरू छोटी तहसील लक्ष्मनगढ़ जिला सीकर राजस्थान ।
   (समस्त जन्म स्थान पितृगृह ग्राम गारिण्डा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान)
4. शांति देवी (संतोष मुताबिक जमाबंदी पुरानी) पत्नी स्व. हरफुल निवासी ग्राम गारिण्डा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान ।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. बनारसी देवी पुत्री स्व. बीरबल निवासी गारिण्डा पत्नी भागीरथ जाति जाट निवासी ग्राम दाडुन्दा तहसील रामगढ़ सेठान जिला सीकर राजस्थान ।
2. अणचाई देवी पुत्री स्व. बीरबल निवासी गारिण्डा पत्नी रणजीत जाति जाट निवासी ग्राम दाडुन्दा तहसील रामगढ़ सेठान जिला सीकर राजस्थान ।
3. श्याना देवी पत्नी स्व. बीरबल जाति जाट निवासी ग्राम गारिण्डा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान ।(हज्फ)
4. बंशीधर पुत्र स्व. हरफुल जाति जाट निवासी ग्राम गारिण्डा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान ।
5. श्रीमान तहसीलदार तहसील फतेहपुर जिला सीकरराजस्थान ।
6. श्रीमान पटवारी महोदय पटवार हल्का तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान ।

....अप्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

आवेदन अ. आदेश 9 नियम 13 सी पी सी

आवेदन अ0 धारा 5 अवधि अधिनियम

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.07.22 19:42:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपस्थित अधिवक्ता
श्री रामेश्वर सिंह जाखड़–प्रार्थीगणकी ओर से
श्री राकेश रैवाड़– अप्रार्थीगण संख्या 1,2 की ओर से

निर्णय

दिनांकः–04.07.2025

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय आवेदन अ0 आदेश 9 नियम 13 सी पी सी व धारा 5 अवधि अधिनियम पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है किउपर अंकित प्रकरण में आवेदन के प्रार्थीगण जो कि मूल दावे मे प्रतिवादीगण सं. 2 लगायत 5 के रूप मे पक्षकार संयोजित है, उक्त वाद पत्र मे प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 को सुचनार्थ नोटिस कभी भी प्राप्त नही हुये तथा न ही प्रतिवादीगण को इस वाद की जानकारी हुई क्योंकि प्रार्थीगण 1 लगायत 3 शादि के पश्चात कभी भी नियमित रूप से ग्राम गारिण्डा में नही रही बल्की अपने ससुराल कमशः ग्राम स्वरूपसर, ग्राम को रोरू छोटी मे आवास निवासी करती आ रही है तथा प्रार्थीया सं. 4 श्रीमती शांति देवी की ग्राम गारिण्डा मे कभी भी संतोष देवी के नाम से पहचान नही हुई है, केवल मात्र राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी मे गलत जानकारी के आधार पर संतोष देवी नाम अंकित किया गया है, इस प्रकार दावा हाजा में माननीय न्यायालय द्वारा पक्षकारों कभी भी कि सुचनार्थ नोटिस प्रार्थीगण विधिक/अविधिक रूप प्राप्त नही होने के कारण दावा हाजा के संबंध में किसी भी तरह कि जानकारी नही हुई। दावा हाजा मे संलग्न तामिल नोटिस बाबत सुचनार्थ कतई गलत रूप से तामिल करवाकर शामिल पत्रावली कर न्यायालय के समक्ष गलत सुचना पेश कर पक्षकारान के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करवाई गई जो कतई गैर न्यायिक होने से अपास्त किये जाने योग्य होने से अपास्त किया जाना न्यायोचित एवं सादर प्रार्थनीय है। माननीय न्यायालय के समक्ष दावा हाजा मे प्रतिवादीगण, 2 लगायत 5 के विरूद्ध प्रस्तुत दावा हाजा के तामिल नोटिस प्रथम बार दिनांक 29/01/2020 को माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु दिनांक माननीय 28/02/2020 अंकित कर जारी किये गये जिस पर मुकामी तामिल पुलिंदा द्वारा रिपोर्ट प्रतिवादीगण 2 ता 5 के घर पर मौजुद मिलने तथा तामिल नोटिस लेने से इंकार करने ओर गांव वालो द्वारा हस्ताक्षर करने से इंकार करने का अंकन कर वापस पत्रावली पेश किये गये।जिन पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 06/06/2022 को प्रतिवादी संख्या 5 की तामिल सम्यक रूप से होना मानकर एकतरफा कार्यवाही करने कि आदेशिका जारी कर दी गई तथा शेष प्रतिवादीगण 2 ता 4 कि तामिल सम्यक रूप से नही होना मानकर पुनः जारी करने कि आदेशिका जारी कि गई जबकि समस्त प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 के तामिल नोटिस पर एक समान तामिल अंकन मुकामी तामिल कुलिंदा द्वारा किया गया था [illegible] सके एक समान रिपोर्ट होने के न्यायालय द्वारा आदेशिका में अलग अलग [illegible] कि [illegible] जो कतई न्याय संगत नही होने से उक्त एकतरफा आदेश [illegible] है से

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.07.22 19:42:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

अपास्त किया जाना न्यायोचित एवं सादर प्रार्थनीय है। दावा हाजा मे अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 लिए तामिल नोटिस बाबत सुचनार्थ नोटिस पुनः दिनांक 20/06/2022 को सुनवाई हेतु दिनांक 04/07/2022 अंकित कर जारी किये गये, जिस पर भी प्रार्थीगण का घर पर मौजुद मिलना नोटिस लेने से इंकार करना नोटिस कि प्रति घर पर चस्पा किया जाना अंकित कर अलग–अलग गवाहान के अस्पष्ट हस्ताक्षर तथा गवाह कि वल्दीयत व निवास स्थान अंकित कर पेश किये जाने पर कि भी तामिल प्रतिवादीगण संख्या माननीय न्यायालय द्वारा सम्यक रूप से मान ली गई के खिलाफ तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 एकतरफा कार्यवाही किये जाने कि आदेशिका जारी कर दी गई।

मुल वाद पत्र/दावा संख्या 6/20 में अंकित प्रश्नगत आराजीयात खसरा नम्बर 212/2, 230/1, 230/3, 265/2 (समस्त नया) वाके ग्राम गारिण्डा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान प्रार्थीगण के पैतृक खातेदारी काश्तकारी अधिकार स्वामित्व की भूमियां है जिन पर प्रार्थीगण का साधिकार निरन्तर हक हिस्सा कार्यवश प्रश्नगत है, प्रार्थीगण को अपने आराजीयात के राजस्व अभिलेख जमाबंदी की आवश्यकता हुई तब विधिवत रूप से जमाबंदी की नकल प्राप्त होने पर ओर प्रार्थीगण द्वारा जमाबंदी का अवलोकन करने के बाद खातेदारी परिवर्तन की विधिवत जानकारी व प्रमाणितप्रतिलिपियां प्राप्त की गई जिस प्रकार दावा हाजा मे माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 07/09/2022 को किये गये आदेश की जानकारी हुई। प्रार्थीगण को बिना सुने तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना उनके विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा एक पक्षीय रूप से निर्णय व डिक्री पारीत कर दी गई जो प्रार्थीगण के वैद्य विधिक अधिकारों पर प्रबल कुठाराघात होने से प्रार्थीगण को होने वाले असीम नकुसान को रोकने बाबत प्रार्थीगण को जवाब देही व सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना उचित एवं न्याय संगत होने से आवेदन हाजा स्वीकार किया जाना न्यायोचित एवं सादर प्रार्थनीय है। श्रीमानजी दावा हाजा मे संयोजित पक्षकार प्रतिवादी सं 2 ता 5 कि तामिल रिपोर्ट एक समान होने के बावजुद अलग–अलग आदेश माननीय न्यायालय द्वारा जारी कर एक पक्षीय कार्यवाही पक्षकारान के खिलाफ कि गई है, जो कतई गलत होने से न्यायोचित नही है प्रार्थीगण को अपनी पैतृक खातेदारी कि भूमियों में अपने हक अधिकार के लिए जवाब देही व साक्ष्य सबुत के लिए अवसर दिया जाना हर दृष्टि से उचित व न्याय संगत होने से प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना पुर्णतया न्यायोचित एवं सादर प्रार्थनीय है। दावा हाजा मे प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण 2 ता 5 के विरूद्ध दिनांक 6/6/2022 तथा 04/07/2022 को पारीत एक पक्षीय आदेश को तत्काल अपास्त किया जाकर दावा हाजा मे प्रश्नगत अराजीयात के वारीसान तथा पूर्व मे तस्दीक नामांतरकरण सं. 118 दिनांक 24/07/1973 तथा नामांतरकरण सं. 114 दिनांक 06/09/2018 के संबंध में प्रार्थीगण को सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया जाना उचित एव न्याय संगत होने से आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित एवं सादर प्रार्थनीय है।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.07.22 19:12:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

अतः आवेदन बाबत अपास्त किये जाने एकपक्षीय आदेश कर श्रीमानजी से विनम्र निवेदन है कि पेश आवेदनकर्तागण का आवेदन विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार करने कि कृपा करें।

प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री राजेश गोस्वामी, राकेश रैवाड़ एड0 ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 बावजुद सूचना हाजिर नहीं होने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 3 की मृत्यु उपरान्त इनके विधिक वारिसान पहले से रेकार्ड पर होने से अप्रार्थी संख्या 3 का नाम हज्फ किया गया। अप्रार्थी संख्या 1,2 की ओर से जवाब आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 पेश हुआ। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है किप्रार्थना पत्र की धारा 1 में अंकित कथन मूल दावे गे प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 के रूप मे प्रार्थीगण पक्षकार थे सही है। लेकिन शेष कथन गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण संख्या 4 मूलवाद में पक्षकार थी जिसपर माननीय न्यायालय द्वारा तामिल जारी होने पर प्रार्थीया संख्या 4 जो घर पर मौजुद मिली और सम्बन्धित वाद की तामिल लेने से इनकार किया था जिस पर तामिल कुनिन्दा ने उसके खुले मकान पर नोटिस की चस्पानगी की थी शेष प्रार्थीगण जो कि प्रार्थीया संख्या 4 की पुत्रीयां है जिनकी तामिल भी प्रार्थीया संख्या 4 ने लेने से इनकार होने पर माननीय न्यायालय ने 06.06.2022 को प्रार्थीया संख्या 4 की तामिल मात्र सम्यक रूप से होने पर न्यायालय मे प्रार्थीया संख्या 4 हाजिर नहीं होने पर बार–बार आवज लगाई जाकर अनुपस्थित होने पर पर्याप्त तामिल मानते हुए एक पक्षीय कार्यवाही की गई शेष प्रार्थीगण की तामिल पुनः जारी होने के आदेश प्रसारीत हुए जो विधिसम्मत होने से किसी भी हालत मे निरस्त किये जाने योग्य नहीं है 2. यह कि प्रार्थना पत्र की धारा 2 मे अंकित प्रार्थीया संख्या 4 की तामिल समयक रूप से होने के बावजुद तामिल कुनिन्दा पर गलत व मनगढंत आरोप लगाये गये है तथा माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीया संख्या 4 की तामिल विधिवत होने से उसके विरूद्ध दिनाक 06.06.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाया जाना विधि विरूद्ध नही है शेष प्रार्थीगण 1 ता 3 चूकिं प्रार्थीया संख्या 4 की पुत्रीयां है तथा वह समन लेने के लिए विधि अनुसार सक्षम होने से लेने से इनकार करने पर तामिल कुनिन्दा ने सही अंकन किया जिस पर माननीय न्यायालय ने प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को तलब करने के लिए पुनः अवसर दिया गया इसलिए उक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य नहीं हैं।प्रार्थना पत्र की धारा 3 गलत होने से अस्वीकार है प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 जून 2022 गर्मीयो की छुट्टियो मे अपने पीहर आई हुई थी तथा तामिल कुनिन्दा दिनाकं 28.06.2022 को उनके घर गया तो यह सभी अपनी माता प्रार्थी संख्या 4 के साथ घर पर मौजुद मिली जो उपस्थित गवाहान के समक्ष समन लेने से इनकार किया जिस पर माननीय न्याया[illegible] विधिवत रूप से 04.07.2022 को उपस्थित नही होने पर एक पक्षीय कार्यवाही [illegible] कार्यवाही नही होने पर उक्त आदेश स्थिर व स्थाई रहने योग्य है। प्रार्थना [illegible] की धारा 4 में अंकित कथन जानकारी बाबत गलत अंकित किये है। प्रार्थीगण को न[illegible]स के दिन से उक्त वाद की जानकारी थी तथा उत्तरदातागण ने प्रार्थीगण के किसी भी साम्पतिक अधिकारो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.07.22 19:42:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

कुठाराघात नही किया है । प्रार्थना पत्र की धारा 5 गलत होने से अस्वीकार है माननीय न्यायालय द्वारा जारी वैध नोटिस को प्रार्थीगण ने जानबुझ कर लेने से इनकार किया जिस पर विधिवतरूप से वाद सुनवाई के आदेश पारित किये तथा उक्त काश्त भूमियो के खातेदारी में परिर्वतन माननीय न्यायालय के आदेशानुसार व अधीनस्थ कर्मचारीयो द्वारा मौके पर जाकर बाद तरमीन राजस्व अभिलेखो मे नाम अंकित किये गये थे ।

प्रार्थना पत्र की धारा 6 गलत होने से अस्वीकार है । माननीय न्यायालय ने तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट पर विधिवत रूप से बावजूद अनुपस्थित प्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किये जिसमे किसी प्रकार की कानूनी भूल नही होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है ।प्रार्थना पत्र की धारा 7 गलत होने से अस्वीकार है माननीय न्यायालय ने तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट पर विधिवत रूप से बावजूद अनुपस्थित प्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही आदेश पारित किये जिसमे किसी प्रकार की कानूनी भूल नही होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है तथा प्रार्थीगण अनावश्यक रूप से वाद बहुलता बढाने की नियत से व प्रकरण को देरीना किये जाने की नियत से आवेदन प्रस्तुत किया जो खारिज किये जाने योग्य है ।

अतः जबाब आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विशेष हर्जे खर्चे सहित खारीज किया जाना प्रार्थनीय है ।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अ0 धारा 5 अवधि अधिनियम का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है किआवेदनकर्ता/प्रतिवादीगण उपरोक्त उनवानी दावा (वाद पत्र) मे प्रतिवादी पक्षकार के रूप में पक्षकार संयोजित किये गये होने से दावा के अहम पक्षकार रहे है, जिनके विरूद्ध दावा सुनवाई के दौरान एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी थी। चूंकि आवेदकगण के अहम खातेदारी अधिकारों पर श्रीमान द्वारा पुर्व मे दिनांक 07/09/2022 को किये गये निर्णय/डिक्री का पुर्णतया विपरित प्रभाव होने से आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी पेश किया गया है। आवेदनकर्ता को श्रीमान के समक्ष विचारित दावा कि कभी भी जानकारी नही रही क्योंकि उपरोक्त दावा मे प्रतिवादीगण/आवेदनकर्ता कि तामिल कतई न्यायिकरीति/सम्यक रूप से नही हुई है, इस प्रकार इसी आधार पर आवेदनकर्ता/प्रतिवादीगण द्वारा अपने अधिकारों कि सुरक्षा बाबत सुनवाई का अवसर पाने हेतू आवेदन पेश किया गया है। प्रथम बार जब प्रतिवादीगण द्वारा अपने स्थानीय बैंक से वित्तिय सहायता/ऋण प्राप्त करने के लिए राजस्व रेकॉर्ड कि नकल प्राप्त की तब राजस्व रेकॉर्ड मे खातेदार के नाम की भिन्नता तथा अन्य खातेदारों के नाम अंकित होने कि जानकारी हुई तब आवेदनकर्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष अपना नाम संशोधित करवाने बाबत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 19/06/2023 को नाम संशोधन का आदेश पारित किया गया तब आवेदनकर्तागण द्वारा संबंधित दावा कि आदेश मय डिक्री/राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त करने का आवेदन संबंधित के समक्ष प्रस्तुत कर सम्पुर्ण दस्तावेजात गत माह दिनांक 28/06/2023 को प्राप्त करने के तत्पश्चात तत्काल अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर आवेदन अन्तर्गत

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.07.22 19:42:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

आदेश 9 नियम 13 अन्दरमियाद श्रीमान के समक्ष पुर्णतया न्याय संगत आधारों पर प्रस्तुत किया गया है। आवेदनकर्ता को श्रीमान के आदेश दिनांक 07/09/2022 की जानकारी के तत्काल पश्चात अन्दरमियाद एकपक्षीय निर्णय/डिक्री निरस्त कर प्रतिवादीगण/आवेदनकर्ता को सुनवाई/अपना पक्ष मय साक्ष्य बाबत अपने अधिकारों के हितार्थ श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने बाबत आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश किया गया है। जिसके समर्थन मे आवेदन हाजा सादर प्रस्तुत है।

अतः आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार कर माननीय न्यायालय हाजा द्वारा पुर्व मे किये गये आदेश दिनांक 09/07/2023 से आवेदन प्रस्तुत करने के दिवस के मध्य व्यतित समयावधि को आवेदनकर्ता द्वारा अंकित कारण को न्यायोचित मानकर अक्षर अंश स्वीकार करने कि कृपा करें।

वकील अप्रार्थी/वादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब आवेदन अ0 धारा 5 अवधि अधिनियम का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है किप्रार्थना पत्र की धारा 1 में अंकित कथन एकपक्षीय डिक्री जारी होना तथा आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का आवेदन पेश होना सही है तथा शेष कथन गलत होने से अस्वीकार है उतरदाता के पक्ष में जारी डिकी से प्रार्थीगण के साम्पतिक/खातेदारी अधिकारो पर कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ा है।प्रार्थना पत्र की धारा 2 गलत होने से अस्वीकार है उत्तरदाता के पक्ष में जारी डिकी मे दौराने कार्यवाही प्रार्थीगण को सुनने हेतू विधिसमत नोटिस भेजे गये थे पार्थीगण द्वारा नोटिस जानबुझ करनहीं लिये गये थे और बार–बार नोटिस जाने पर भी प्रार्थीगण निर्धारित तारीख पेशी पर माननीय न्यायालय में अनुपस्थित रहे जिस कारण प्रार्थीगण के विरूद्य एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाकर वाद सुनकर प्रकरण का गुण व अवगुण पर निस्तारण किया गया उक्त सभी कार्यवाही की प्रार्थीगण को आरम्भ से ही जानकारी थी प्रार्थीगण का यह कथन कतई गलत व बेबुनियाद है कि प्रथम बार जब प्रतिवादीगण द्वारा अपने स्थानीय बैंक से वितिय सहायता प्राप्त करने के लिए राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त की तब प्रतिवादीगण को खातेदारी में उत्तरदाता का नाम अंकित होने की जानकारी मिली हो प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी मे नाम संशोधन का एक वाद माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया था जिसमे प्रार्थीगण ने अपना नाम संशोधन करवाया था लेकिन न तो प्रार्थीगण उत्तरदाता के वाद में प्रस्तुत हुए ना ही अन्दर मियाद हस्त गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से खारीज किये जाने योग्य है।प्रार्थना पत्र की धारा 3 गलत होने से अस्वीकार है प्रार्थीगण को उक्त डिकी व आदेश की आरम्भ से ही जानकारी थी पार्थीगण ने अपने आवेदन मे माननीय न्यायालय द्वारा जरिये समन तलब किये जाने के बावजुद नियत दिनाकं को हाजिर क्यों नही हुए क्या उचित कारण रहा अंकित नही किया प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय द्वारा जारी समन न लेकर अवमानना की थी इसके अलावा प्रार्थीगण को दोबारा समन भेजकर अपना पक्ष रखने हेतु उचित समय व अवसर दिये गये थे जिसका प्रार्थीगण ने लापरवाही पूर्वक अनदेखी कर प्रकरण की कार्यवाही मे हाजिर अदालत नही रहे इस कारण विधिसमत प्रक्रिया अपना कर उचित आदेश पारीत हुआ

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.07.22 19:42:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

प्रार्थीगण को अपना पक्ष रखने हेतू उचित अवसर दिये गये जिस पर पार्थीगण जानबुझ कर हाजिर नहीं हुए तथा नियत दिनाकं से अब तक प्रतिदिन का उपस्थित नहीं होने का कोई उचित कारण नही बताया है इसलिए प्रार्थीगण ने अपने प्रतिरक्षा अधिकार समाप्त प्रायः कर लिए है।

अतः जबाब आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का आवेदन मय हर्जे खर्चे खारीज किया जाना प्रार्थनीय है ।

बहस वकील उभयपक्षआवेदन अन्तर्गतआदेश 9 नियम 13 जा0दी0 व धारा 5 अवधि अधिनियम सुनी गयी।दौराने बहस वकील प्रार्थीने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्योव वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया । वकील प्रार्थी ने कथन किया कि आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 व आवेदन धारा 5 अवधि अधिनियम स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा प्रकरण बउनवानी" बनारसी आदि बनाम बंशीधर आदि "मु.नं. 06/2020 में जारी एक पक्षीय आदेश दिनांकित 6/6/2022 तथा 04/07/2022को अपास्त किया जाकर दावा हाजा मे प्रश्नगत अराजीयात के वारीसान तथा पुर्व मे तस्दीक नामांतरकरण सं. 118 दिनांक 24/07/1973 तथा नामांतरकरण सं. 114 दिनांक 06/09/2018 के संबंध में प्रार्थीगण को सुनवाई व साक्ष्य सबुत पेश करने का अवसर दिया जाना उचित एवं न्याय संगत होने से आवेदन स्वीकार किया जाकर एकपक्षीय आदेश अपास्त किया जावें। पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के सम्बन्ध में यदि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का अवलोकन किया जाये तो प्रार्थना पत्र उक्त वाद पत्र में दिनांक 06.06.2022 को प्रतिवादी संख्या 5 व दिनांक 04.07.2022 को प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को माननीय न्यायालय द्वारा तामिल मान्य मानकर इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश जारी कर दिये जबकि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को कभी भी कोई तामिल नोटिस प्राप्त नहीं हुए तथा न ही प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को उक्त नोटिस या वाद पत्र की कोई जानकारी थी।

हस्तगत पत्रावली व प्रस्तुत साक्ष्य, मूल वाद पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिसके पश्चात न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट होता है किप्रार्थीगण/प्रतिवादीसंख्या 2 ता 4को भेजी तामील इनके पते पर ना भेजकर पीहर के पते पर भेजी गई है तो ऐसी स्थिति मे प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को प्रेषित की गई तामील सम्यक तामील नहीं थी।

जिसके आधार पर इस न्यायालयद्वारा दिनांक06.06.2022 को प्रतिवादी संख्या 5 व दिनांक 04.07.2022 को प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के विरुद्ध की गई [illegible] कार्यवाही का आदेश न्यायालय के विनम्र मत अपास्त किये जाने योग्य [illegible] बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने यह आपत्ति उठाई गई है कि प्रार्थीगण [illegible] आदेश व डिक्री की आरम्भ से ही जानकारी थी। माननीय न्यायालय द्वारा जारी सम्मन न लेकर अवमानना की थी इसके अलावा प्रार्थीगण को दोबारा समन भेजकर अपना पक्ष रखने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.07.22 19:42:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

उचित समय व अवसर दिये गये थे जिसका प्रार्थीगण ने लापरवाही पूर्वक अनदेखी कर प्रकरण की कार्यवाही में हाजिर अदालत नहीं रहे। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थीगण ने मूलवाद की नकल 28.06.2023 को प्राप्त करने के तत्पश्चात आवेदन पेश कर दिया। चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 की तामील सम्यक नहीं होना प्रकट होता है और उन्होने मूल वाद की पत्रावली की नकल दिनांक 28.06.2023 को प्राप्त होने से 30 दिन की अवधि के भीतर–भीतर ही आवेदन पेश कर दिया था। अतः आवेदन अन्दर मियाद होना भी प्रकट होता है।

अतः उक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 व धारा 5 अवधि अधिनियम स्वीकार किये जाता है। प्रकरण बउनवानी" बनारसी आदि बनाम बंशीधर आदि "मु.नं. 06/2020 में जारी एक पक्षीय कार्यवाही दिनांकित 06.06.2022 तथा 04.07.2022 व उनके विरूद्ध पारीत एक पक्षीय निर्णय, डिक्री दिनांकित 07.09.2022 अपास्त किये जाते है और उसे दिनांक 06.06.2022 व 04.07.2022 से कार्यवाहियों में भाग लेने की अनुमति दी जाती है।

चूंकि न्यायालय द्वारा एक पक्षीय निर्णय, डिक्री दिनांकित 07.09.2022 को अपास्त किया गया है। अतः प्रकरण का मूल वाद संख्या 06/2020 बउनवानी" बनारसी आदि बनाम बंशीधर आदि को पुनः नम्बर पर दर्ज किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद जाप्ता कार्यवाही मूल वाद के संलग्न हो।

आदेश आज दिनांक 04.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर(सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.07.22 19:42:52 IST
Reason: SelfAttested